


23/5/24

पत्रावली देना दुर्ग न्यायालय समय में
काट आवाजे लगवारी गर्ब परन्तु प्रार्थी व
उनके अधिवक्ता कोई उपाय नहीं है/लिखित
पुरखाना अदालत में/ अदालत में रखा जा
रिपान जात है/ पत्रावली केवल शुद्ध होकर
न्यायालय से रफ हो/ निर्णय सुने न्यायालय
में बुलाया गया।




सहायक कंसल्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

